

दिनांक 25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

समीकरण योजना

4133. डॉ. मल्लू रवि:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्तमान वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्याज समीकरण योजना के साथ ही अतिरिक्त उपाय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उपायों से विशेषकर तेलंगाना के निर्यातकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का कितना समाधान हो पाएगा ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) भारत सरकार ने घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने, आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, आयात के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करने और आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न सक्रिय उपाय किए हैं। सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने, निवेश को आकर्षित करने और व्यापार में सुगमता को प्रोत्साहन देने हेतु समय-समय पर कई प्रमुख पहल और नीतिगत उपाय किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

(i) दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से लागू विदेश व्यापार नीति भारत को वैश्विक बाजार में अधिक प्रभावी रूप से जोड़ने, व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधारने और देश को भरोसेमंद और विश्वसीनय व्यापार साझेदार के रूप में स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(ii) देश भर में 65 निर्यात सुविधा केन्द्रों (ईएफसी) की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य विशेषकर एमएसएमई निर्यातकों को अपने उत्पादों और सेवाओं को विदेशी बाजारों में निर्यात करने में अपेक्षित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है।

(iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) और बाजार अभिगम पहल (एमएआइ) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है।

(iv) वस्त्र क्षेत्र की श्रम-उन्मुख कुछ मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07 मार्च, 2019 से लागू की गई है।

(v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01 जनवरी, 2021 लागू की गई है। इस्पात, भेषज और रसायन जैसे क्षेत्रों हेतु आरओडीटीईपी स्कीम लाभ को इन क्षेत्रों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 से बढ़ाया गया है। वर्तमान में, 10,642 टैरिफ लाइनें (8-अंकीय आइटीसी (एचएस) कोड) इस स्कीम के अंतर्गत शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आरओडीटीईपी स्कीम के लिए बजट आवंटन 16,575 करोड़ रुपये है। आरओडीटीईपी स्कीम का लाभ भी घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) से निर्यात के लिए 30 सितम्बर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

(vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

(vii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए बाधाओं को दूर करने और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए निर्यात हब के रूप में जिले पहल की शुरुआत की गई है।

(viii) सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सूचना और मध्यस्थता मंच के रूप में ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो नए और मौजूदा दोनों निर्यातकों के लिए व्यापक सेवाएं प्रदान करने हेतु विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और वाणिज्य विभाग के पदाधिकारियों तथा अन्य संगठनों के अधिकारियों को एक साथ लाता है।

(ix) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है। विदेश में स्थित वाणिज्य मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डों/प्राधिकरणों और उद्योग संघों के साथ निर्यात निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है और समय-समय पर सुधारात्मक उपाए किए जा रहे हैं।

(x) बदलते हुए व्यापार परिदृश्य में, भारत तरजीही/मुक्त व्यापार समझौतों (पीटीए/एफटीए) की ओर बढ़ रहा है जिसमें पीटीए/एफटीए सदस्यों के बीच पर्याप्त व्यापार पर सीमाशुल्क प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम करना अथवा हटाना है। वर्तमान में भारत ईयू, यूके और ओमान के साथ वार्ताओं के अलावा 13 एफटीए और 9 पीटीए का सदस्य है।

(ख) सरकार द्वारा किए गए उपर्युक्त उपाय तेलंगाना राज्य सहित सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होते हैं और इन्हें भारतीय निर्यातकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का उचित और प्रभावी तरीके से समाधान करने हेतु बनाए गए हैं।
